UPBS120001162023

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03335

मूलवाद सं० 86/2023

श्रीमती सहातुन्निशा बनाम बहरैची आदि

22.02.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग २ पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा विवादित रास्ता अक्षरान ई, एफ, जी, एच प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित गाटा सं० 77 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 10 ग 1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11 ग 1, नोटरी प्रमाणित छायाप्रति बैनामा कागज सं० 12 ग 1/1 ता 12 ग 1/12, छायाप्रति राजस्व मानचित्र कागज सं० 13 ग 1 दाखिल किया गया है। वादिनी द्वारा विवादित भूमि प्रदर्शित अक्षरान ई, एफ, जी, एच को रास्ते के रूप में दर्शित किया गया है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर दर्शित की गयी है। वादिनी का अभिकथन है कि वादिनी ने भूमि प्रदर्शित अक्षरान ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच को जरिए बैनामा क्रय किया है। वादिनी को तीन मीटर चौड़ा रास्ता लिंक मार्ग से विक्रीत रकबा में जाने के लिए विक्रेता ने दिया था तथा बाद में उसी रास्ते को वादिनी के रकबे में जोड़ दिया था। दस्तावेज बैनामा कागज सं० 12 ग 1 के पृष्ठ सं० 11 पर विक्रेता ने कथन किया है कि ''लिंक मार्ग से हम मुकिर तीन मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित विक्रीत रकबा तक जाने का रास्ता क्रेता को दे रहा हूं।'' अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त विवादित रास्ते को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, अन्यथा वादी के दावे का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। नियत तिथि तक उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा मना किया जाता है कि विवादित रास्ता अक्षरान ई, एफ, जी, एच प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र चौड़ाई 3 मीटर, के किसी भी भाग पर कोई निर्माण न करें, न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करें, बल्कि मौके पर यथास्थिति बनाए रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन अविलंब करे। अनुपालन न करने की स्थिति में उक्त आदेश निष्प्रभावी होगा। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक 10.03.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2023.02.22 17:19:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court